एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8327/2002

13.3.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री विनय कुमार, अधिवक्ता याची।
श्री हर्षवर्धन नन्दवाना, उप राजकीय अधिवक्ता।

यह रिट याचिका विपक्षीगण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2002 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा याची का प्री-टीचर एज्युकेशन टेस्ट, 2002 हेतु आवेदनपत्र आवश्यक योग्यता धारित नहीं करने के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। यह याचिका वर्ष 2002 में प्रस्तुत की गयी थी। इस बीच यदि याची चाहती तो वांछित योग्यता प्राप्त कर पुन: प्री-टीचर एज्युकेशन टेस्ट, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, के लिये आवेदन कर सकती थी। इन परिस्थितियों में जबकि रिट याचिका प्रस्तुत किये हुए पांच वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, इस स्तर पर इस याचिका में याची को कोई अनुतोष इस न्यायालय द्वारा दिया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता। अत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति